C O N T E N T S

Seventeenth Series, Vol. V, Second Session, 2019/1941 (Saka)
No.6, Monday, November 25, 2019/Agrahayana 4, 1941 (Saka)

S U B J E C T	P A G E S
ORAL ANSWERS TO QUESTIONS	
*Starred Question Nos.101 to 103	7-17, 19-21
WITHDRAWAL OF MEMBERS FROM THE HOUSE	18
WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS	
Starred Question Nos.104 to 120	22-64
Unstarred Question Nos.1151 to 1380	65-487

* The sign + marked above the name of a Member indicates that the Question was actually asked on the floor of the House by that Member.

PAPERS LAID ON THE TABLE 489-508

STANDING COMMITTEE ON INDUSTRY

295th and 296th Reports 509

ELECTION TO COMMITTEE

Central Building and Other Construction Workers' Advisory Committee 509-510

GOVERNMENT BILLS -Introduced 510-512

(i) Taxation Laws (Amendment) Bill, 2019 510

(ii) International Financial Services Centres Authority Bill, 2019 511

(iii) Recycling of Ships Bill, 2019 512

(iv) Special Protection Group (Amendment) Bill, 2019 512

MATTERS UNDER RULE 377 513-521

(i) Need to undertake repair of national highways passing through Raver Parliamentary Constituency, Maharashtra.

Shrimati Raksha Nikhil Khadse 513

(ii) Need to confer Bharat Ratna award on Veer Savarkar, the great revolutionary and social reformer

Shri Gopal Shetty 514

(iii) Need to set up a Regional Outreach Bureau in Kheri Parliamentary Constituency, Uttar Pradesh.

Shri Ajay Misra Teni 515

(iv) Need to review the list of beneficiaries under Ayushman Bharat Yojana in the country particularly in Meerut Parliamentary Constituency
Shri Rajendra Agrawal 515

(v) Need to appoint adequate number of teaching faculty and non-teaching staff in Allahabad University and change the name of the University as Prayagraj University
Shrimati Keshari Devi Patel 516

(vi) Regarding status of aborigines of Santhal Pargana region
Dr. Nishikant Dubey 516

(vii) Regarding establishing a Sainik School in Dakshin Dinajpur district of West Bengal
Dr. Sukanta Majumdar 517

(viii) Need to include Rajasthani language in the Eighth Schedule to the Constitution
Shri Nihal Chand 517

(ix) Need to shift 'Asthi Kalash' of Lord Buddha from Delhi to Kapilvastu in Uttar Pradesh
Shri Jagdambika Pal 518

(x) Need to impress upon Government of Madhya Pradesh to provide adequate compensation to farmers who suffered loss of their crops due to heavy rains in Madhya Pradesh particularly in Balaghat Parliamentary Constituency, Madhya Pradesh
Dr. Dhal Singh Bisen 518

(xi) Regarding development of land around Kanyakumari Sanctuary as Eco-Sensitive Zone
Shri H. Vasanthakumar 519

(xii) Need to allocate funds for Hogenakkal Drinking Water Scheme in Tamil Nadu
Shri DNV Senthilkumar S. 519

(xiii) Regarding Stake sell in CPSEs
Prof. Sougata Ray 520

(xiv) Regarding financial support to Odisha for building underground Resilient Stable Electricity Transmission and Distribution Network.
Shri Bhartruhari Mahtab 521

(xv) Regarding inter-linking of rivers in the country
Shri Malook Nagar 521

ANNEXURE – I

Member-wise Index to Starred Questions 522

Member-wise Index to Unstarred Questions 523-528

ANNEXURE – II

Ministry-wise Index to Starred Questions 529

Ministry-wise Index to Unstarred Questions 530

OFFICERS OF LOK SABHA

THE SPEAKER

Shri Om Birla

PANEL OF CHAIRPERSONS

Shrimati Rama Devi

Dr. (Prof.) Kirit Premjibhai Solanki

Shri Rajendra Agrawal

Shrimati Meenakashi Lekhi

Shri Kodikunnil Suresh

Shri A. Raja

Shri P.V. Midhun Reddy

Shri Bhartruhari Mahtab

Shri N.K. Premachandran

Dr. Kakoli Ghosh Dastidar

SECRETARY GENERAL

Shrimati Snehlata Shrivastava

LOK SABHA DEBATES

LOK SABHA

Monday, November 25, 2019, / Agrahayana 4, 1941 (Saka)

The Lok Sabha met at Eleven of the Clock.

[HON. SPEAKER *in the Chair*]

ORAL ANSWERS TO QUESTIONS

…(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : प्रश्न काल**,** प्रश्न 101 **--** श्री राहुल गांधी।

…(व्यवधान)

11.0½ hrs

(At this stage, Shri Gaugrav Gogoi and some other hon. Members came and stood on the floor near the Table.)

माननीय अध्यक्ष : इसको हटाइए।

…(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : इसको नीचे करिए ।

…(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : यह नहीं । इसे हटा दीजिए।

…(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : इसको हटाइए ।

…(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : इसको हटा दो ।

…(व्यवधान)

11.01 hrs

(At this stage, Shri P.R. Natarajan, Shri N.K. Premachandran and some other hon. Members came and stood on the floor near the Table).

माननीय अध्यक्ष : इसको नहीं दिखाइए।

…(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : क्वैश्चन नंबर – 101

…(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : आपके नेता बोल रहे हैं।

…(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : राहुल गांधी जी, आपका माइक चालू है।

…(व्यवधान)

(Q.101)

जनजातीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती रेणुका सिंह सरुता):

(क) और (ख) एक विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

श्री राहुल गांधी : नमस्कार, स्पीकर महोदय। …(व्यवधान) मैं आज यहां सवाल पूछने आया था। …(व्यवधान) स्पीकर महोदय, मैं आज यहां सवाल पूछने आया था, मगर मेरे सवाल पूछने का आज कोई मतलब ही नहीं है, क्योंकि महाराष्ट्र में लोकतंत्र की हत्या हुई है । …(व्यवधान) लोकतंत्र की हत्या हुई है, तो मेरे सवाल पूछने का कोई मतलब नहीं है। धन्यवाद । …(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : प्रश्न 102- श्रीमती पूनमबेन हेमतभाई माडम ।

…(व्यवधान)

(Q.102)

SHRIMATI POONAMBEN MAADAM: Sir, as we all know, the NDA Government, under the leadership of our hon. Prime Minister, Shri Narendra Modi has launched a sustained campaign for black money since 2014. …(*Interruptions*) This has been in the form of many initiatives and one of the prominent ones being identifying shell companies and taking appropriate steps against them. …(*Interruptions*)

Sir, through you, what I would like to know from the hon. Minister is this. …(*Interruptions*) As the complex corporate structure in India makes it difficult to identify shell companies, is there any proper mechanism or definition to identify such companies? …(*Interruptions*) Since it spans across the departments, is there any inter-Ministerial cooperation or a Task Force that has been set up to identify and tackle the conduits of illegal fund flow? …(*Interruptions*)

11.04 hrs

WITHDRAWAL OF MEMBERS FROM THE HOUSE

माननीय अध्यक्ष : मैं नाम लेकर पुकार रहा हूं । हिबी इडन और प्रथापन जी इसे नीचे कर दें ।

…(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : मैं फिर आपको अंतिम बार चेतावनी दे रहा हूं । इस पेम्फ्लेट को आप हटा दें।

…(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : माननीय सदस्य हिबी इडन और प्रथापन जी, इसे नीचे कर दें ।

…(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : मैं आप दोनों को बाहर निकाल दूंगा।

…(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष: माननीय सदस्य हिबी इडन और प्रथापन जी, एक मिनट में पेम्फ्लेट नीचे कर दें ।

…(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष: नियम 373 के अंतर्गत इन दोनों सदस्यों को सदन से बाहर निकाला जाए ।

…(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष: इन दोनों सदस्यों को सदन से निकालो ।

…(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष: माननीय सदस्य, ऐसे नहीं चलेगा ।

…(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष: इनको यहां से हटाएं, सदन ऐसे नहीं चलेगा ।

…(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष:आप लोग वापस आ जाइए ।

…(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष: माननीय सदस्य, मैं आपको अंतिम बार समझा रहा हूं कि सदन की गरिमा को बनाए रखें ।

…(व्यवधान)

11.06 hrs

ORAL ANSWERS TO QUESTIONS...Contd.

माननीय अध्यक्ष: प्रश्न 103

…(व्यवधान)

श्री पी. पी. चौधरी : प्रश्न 103…(व्यवधान)

(Q.103)

संस्कृति मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा पर्यटन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री प्रह्लाद सिंह पटेल):

(क) से (ग) एक विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

…(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष: लोक सभा की कार्यवाही बारह बजे तक के लिए स्थगित की जाती है ।

11.09hrs

The Lok Sabha then adjourned till Twelve of the Clock.

12.00 hrs

The Lok Sabha reassembled at Twelve of the Clock.

(Shri Rajendra Agrawal *in the Chair*)

…(व्यवधान)

माननीय सभापति : सदन की कार्यवाही दो बजे तक के लिए स्थगित की जाती है।

12.0 ½ hrs

The Lok Sabha then adjourned till Fourteen of the Clock.

_____

14.00 hrs

The Lok Sabha reassembled at Fourteen of the Clock.

(Shrimati Meenakashi Lekhi *in the Chair*)

PAPERS LAID ON THE TABLE

माननीय सभापति : अब पत्र सभा पटल पर रखे जाएंगे - श्री अर्जुन मुंडा।

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अर्जुन राम मेघवाल): श्री अर्जुन मुंडा की ओर से मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं:-

(1) संविधान के अनुच्छेद 338क के खंड 6 के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-

(एक) राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग, नई दिल्ली के वर्ष 2015-2016 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति।

(दो) राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग, नई दिल्ली के वर्ष 2015-2016 के वार्षिक प्रतिवेदन पर की गई कार्रवाई ज्ञापन।

(2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[Placed in Library, See No. LT 777/17/19]

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अर्जुन राम मेघवाल): श्री धर्मेन्द्र प्रधान की ओर से मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं:-

(1) कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 394 की उपधारा (1) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-

(क) (एक) इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 2018-2019 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण।

(दो) इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड, नई दिल्ली का वर्ष 2018-2019 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

[Placed in Library, See No. LT 778/17/19]

(ख) (एक) ऑयल इंडिया लिमिटेड, डिब्रूगढ़ के वर्ष 2018-2019 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति।

(दो) ऑयल इंडिया लिमिटेड, डिब्रूगढ़ का वर्ष 2018-2019 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

[Placed in Library, See No. LT 779/17/19]

(2) निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-

(एक) ऑयल इंडिया लिमिटेड तथा पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के बीच वर्ष 2019-2020 के लिए हुआ समझौता ज्ञापन।

[Placed in Library, See No. LT 780/17/19]

(दो) ऑयल एंड नेचुरल गैस कारपोरेशन लिमिटेड तथा पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के बीच वर्ष 2019-2020 के लिए हुआ समझौता ज्ञापन।

[Placed in Library, See No. LT 781/17/19]

श्रम और रोजगार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री संतोष कुमार गंगवार): माननीय सभापति जी, मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं**:-**

(1) कर्मचारी भविष्य निधि संगठन, नई दिल्ली के वर्ष 2017-2018 के समेकित वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) और उस पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

(2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[Placed in Library, See No. LT 782/17/19]

संस्कृति मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा पर्यटन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री प्रह्लाद सिंह पटेल): माननीय सभापति जी, मैं निम्नखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं**:-**

(1) (एक) सलार जंग म्यूजियम, हैदराबाद के वर्ष 2017-2018 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) सलार जंग म्यूजियम, हैदराबाद के वर्ष 2017-2018 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[Placed in Library, See No. LT 783/17/19]

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF PARLIAMENTARY AFFAIRS AND MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF HEAVY INDUSTRIES AND PUBLIC ENTERPRISES (SHRI ARJUN RAM MEGHWAL): Madam, I beg to lay on the Table a copy of the Report (Hindi and English versions) of the Comptroller and Auditor General of India-Union Government (Commercial)(No. 13 of 2019)-Compliance Audit Observations for the year ended March, 2018 under Article 151(1) of the Constitution.

[Placed in Library, See No. LT 784/17/19]

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT, MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF COMMUNICATIONS AND MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF ELECTRONICS AND INFORMATION TECHNOLOGY (SHRI SANJAY SHAMRAO DHOTRE): Madam, I beg to lay on the Table:-

(1) (i)A copy of the Annual Report (Hindi and English versions) of the Maulana Azad National Institute of Technology, Bhopal, for the year 2017-2018.

(ii) A copy of the Annual Accounts (Hindi and English versions) of the Maulana Azad National Institute of Technology, Bhopal, for the year 2017-2018, together with Audit Report thereon.

(iii) A copy of the Review (Hindi and English versions) by the Government of the working of the Maulana Azad National Institute of Technology, Bhopal, for the year 2017-2018.

(2) Statement (Hindi and English versions) showing reasons for delay in laying the papers mentioned at (1) above.

[Placed in Library, See No. LT 785/17/19]

(3) (i)A copy of the Annual Report (Hindi and English versions) of the Indian Institute of Engineering Science and Technology, Shibpur, for the years 2016-2017 and 2017-2018, alongwith Audited Accounts.

(ii) A copy of the Review (Hindi and English versions) by the Government of the working of the Indian Institute of Engineering Science and Technology, Shibpur, for the years 2016-2017 and 2017-2018.

(4) Two statement (Hindi and English versions) showing reasons for delay in laying the papers mentioned at (3) above.

[Placed in Library, See No. LT 786/17/19]

(5) (i)A copy of the Annual Report (Hindi and English versions) of the Malaviya National Institute of Technology Jaipur, Jaipur, for the year 2017-2018, alongwith Audited Accounts.

(ii) A copy of the Review (Hindi and English versions) by the Government of the working of the Malaviya National Institute of Technology Jaipur, Jaipur, for the year 2017-2018.

(6) Statement (Hindi and English versions) showing reasons for delay in laying the papers mentioned at (5) above.

[Placed in Library, See No. LT 787/17/19]

(7) (i)A copy of the Annual Report (Hindi and English versions) of the Indian Institute of Science Education and Research, Mohali, for the year 2017-2018.

(ii) A copy of the Annual Accounts (Hindi and English versions) of the Indian Institute of Science Education and Research, Mohali, for the year 2017-2018, together with Audit Report thereon.

(iii) A copy of the Review (Hindi and English versions) by the Government of the working of the Indian Institute of Science Education and Research, Mohali, for the year 2017-2018.

(8) Statement (Hindi and English versions) showing reasons for delay in laying the papers mentioned at (7) above.

[Placed in Library, See No. LT 788/17/19]

(9) (i)A copy of the Annual Report (Hindi and English versions) of the National Institute of Technology Karnataka, Surathkal, for the year 2017-2018, alongwith Audited Accounts.

(ii) A copy of the Review (Hindi and English versions) by the Government of the working of the National Institute of Technology Karnataka, Surathkal, for the year 2017-2018.

(10) Statement (Hindi and English versions) showing reasons for delay in laying the papers mentioned at (9) above.

[Placed in Library, See No. LT 789/17/19]

(11) (i)A copy of the Annual Report (Hindi and English versions) of the National Institute of Technology Durgapur, Durgapur, for the year 2017-2018.

(ii) A copy of the Annual Accounts (Hindi and English versions) of the National Institute of Technology Durgapur, Durgapur, for the year 2017-2018, together with Audit Report thereon.

(iii) A copy of the Review (Hindi and English versions) by the Government of the working of the National Institute of Technology Durgapur, Durgapur, for the year 2017-2018.

(12) Statement (Hindi and English versions) showing reasons for delay in laying the papers mentioned at (11) above.

[Placed in Library, See No. LT 790/17/19]

(13) (i)A copy of the Annual Report (Hindi and English versions) of the Rashtriya Madhyamik Shiksha Abhiyan Maharashtra, Mumbai, for the years 2016-2017 and 2017-2018, alongwith Audited Accounts.

(ii) Statement regarding Review (Hindi and English versions) by the Government of the working of the Rashtriya Madhyamik Shiksha Abhiyan Maharashtra, Mumbai, for the years 2016-2017 and 2017-2018.

(14) Two statements (Hindi and English versions) showing reasons for delay in laying the papers mentioned at (13) above.

[Placed in Library, See No. LT 791/17/19]

(15) (i)A copy of the Annual Report (Hindi and English versions) of the Rashtriya Madhyamik Shiksha Abhiyan Telangana, Hyderabad, for the years 2014-2015 to 2016-2017, alongwith Audited Accounts.

(ii) Statement regarding Review (Hindi and English versions) by the Government of the working of the Rashtriya Madhyamik Shiksha Abhiyan Telangana, Hyderabad, for the years 2014-2015 to 2016-2017.

(16) Three statements (Hindi and English versions) showing reasons for delay in laying the papers mentioned at (15) above.

[Placed in Library, See No. LT 792/17/19]

(17) (i)A copy of the Annual Report (Hindi and English versions) of the National Institute of Technology Goa, Goa, for the year 2017-2018, alongwith Audited Accounts.

(ii) A copy of the Review (Hindi and English versions) by the Government of the working of the National Institute of Technology Goa, Goa, for the year 2017-2018.

(18) Statement (Hindi and English versions) showing reasons for delay in laying the papers mentioned at (17) above.

[Placed in Library, See No. LT 793/17/19]

(19) (i) A copy of the Annual Report (Hindi and English versions) of the National Institute of Technology Puducherry, Karaikal, for the year 2017-2018, alongwith Audited Accounts.

(ii) A copy of the Review (Hindi and English versions) by the Government of the working of the National Institute of Technology Puducherry, Karaikal, for the year 2017-2018.

(20) Statement (Hindi and English versions) showing reasons for delay in laying the papers mentioned at (19) above.

[Placed in Library, See No. LT 794/17/19]

(21) (i)A copy of the Annual Report (Hindi and English versions) of the National Institute of Technology Uttarakhand, Pauri Garhwal, for the year 2017-2018, alongwith Audited Accounts.

(ii) A copy of the Review (Hindi and English versions) by the Government of the working of the National Institute of Technology Uttarakhand, Pauri Garhwal, for the year 2017-2018.

(22) Statement (Hindi and English versions) showing reasons for delay in laying the papers mentioned at (21) above.

[Placed in Library, See No. LT 795/17/19]

(23) (i)A copy of the Annual Report (Hindi and English versions) of the National Institute of Technology Delhi, Delhi, for the year 2016-2017, alongwith Audited Accounts.

(ii) A copy of the Review (Hindi and English versions) by the Government of the working of the National Institute of Technology Delhi, Delhi, for the year 2016-2017.

(24) Statement (Hindi and English versions) showing reasons for delay in laying the papers mentioned at (23) above.

[Placed in Library, See No. LT 796/17/19]

(25) (i)A copy of the Annual Report (Hindi and English versions) of the Motilal Nehru National Institute of Technology, Allahabad, Prayagraj, for the year 2017-2018, alongwith Audited Accounts.

(ii) A copy of the Review (Hindi and English versions) by the Government of the working of the Motilal Nehru Institute of Technology, Allahabad, Prayagraj, for the year 2017-2018.

(26) Statement (Hindi and English versions) showing reasons for delay in laying the papers mentioned at (25) above.

[Placed in Library, See No. LT 797/17/19]

(27) (i)A copy of the Annual Report (Hindi and English versions) of the National Institute of Technology Mizoram, Aizawl, for the year 2017-2018, alongwith Audited Accounts.

(ii) A copy of the Review (Hindi and English versions) by the Government of the working of the National Institute of Technology Mizoram, Aizawl, for the year 2017-2018.

(28) Statement (Hindi and English versions) showing reasons for delay in laying the papers mentioned at (27) above.

[Placed in Library, See No. LT 798/17/19]

(29) (i)A copy of the Annual Report (Hindi and English versions) of the National Institute of Technology Agartala, Agartala, for the year 2017-2018, alongwith Audited Accounts.

(ii) A copy of the Review (Hindi and English versions) by the Government of the working of the National Institute of Technology Agartala, Agartala, for the year 2017-2018.

(30) Statement (Hindi and English versions) showing reasons for delay in laying the papers mentioned at (29) above.

[Placed in Library, See No. LT 799/17/19]

(31) (i)A copy of the Annual Report (Hindi and English versions) of the Sardar Vallabhbhai National Institute of Technology, Surat, for the year 2016-2017.

(ii) A copy of the Annual Accounts (Hindi and English versions) of the Sardar Vallabhbhai National Institute of Technology, Surat, for the year 2016-2017, together with Audit Report thereon.

(iii) A copy of the Review (Hindi and English versions) by the Government of the working of the Sardar Vallabhbhai National Institute of Technology, Surat, for the year 2016-2017.

(32) Statement (Hindi and English versions) showing reasons for delay in laying the papers mentioned at (31) above.

[Placed in Library, See No. LT 800/17/19]

(33) (i)A copy of the Annual Report (Hindi and English versions) of the Paschim Banga Sarva Siksha Mission, Kolkata, for the year 2017-2018, alongwith Audited Accounts.

(ii) Statement regarding Review (Hindi and English versions) by the Government of the working of the Paschim Banga Sarva Siksha Mission, Kolkata, for the year 2017-2018.

(34) Statement (Hindi and English versions) showing reasons for delay in laying the papers mentioned at (33) above.

[Placed in Library, See No. LT 801/17/19]

(35) (i)A copy of the Annual Report (Hindi and English versions) of the Odisha Madhyamik Shiksha Mission, Bhubaneswar, for the year 2017-2018, alongwith Audited Accounts.

(ii) Statement regarding Review (Hindi and English versions) by the Government of the working of the Odisha Madhyamik Shiksha Mission, Bhubaneswar, for the year 2017-2018.

(36) Statement (Hindi and English versions) showing reasons for delay in laying the papers mentioned at (35) above.

[Placed in Library, See No. LT 802/17/19]

(37) (i)A copy of the Annual Report (Hindi and English versions) of the Madhya Pradesh Madhyamik Shiksha Abhiyan Samiti, Bhopal, for the years 2014-2015 and 2015-2016, alongwith Audited Accounts.

(ii) A copy of the Review (Hindi and English versions) by the Government of the working of the Madhya Pradesh Madhyamik Shiksha Abhiyan Samiti, Bhopal, for the years 2014-2015 and 2015-2016.

(38) Two statements (Hindi and English versions) showing reasons for delay in laying the papers mentioned at (37) above.

[Placed in Library, See No. LT 803/17/19]

(39) (i)A copy of the Annual Report (Hindi and English versions) of the National Institute of Technology Warangal, Warangal, for the year 2017-2018, alongwith Audited Accounts.

(ii) A copy of the Review (Hindi and English versions) by the Government of the working of the National Institute of Technology Warangal, Warangal, for the year 2017-2018.

(40) Statement (Hindi and English versions) showing reasons for delay in laying the papers mentioned at (39) above.

[Placed in Library, See No. LT 804/17/19]

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अर्जुन राम मेघवाल): श्री अनुराग सिंह ठाकुर की ओर से मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूँ**:**

(1) केन्द्रीय माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 166 के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) :-

(एक) सा.का.नि. 534 (अ), जो 29 जुलाई, 2019 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय अप्रैल-जून 2019 की तिमाही के लिए फॉर्म जीएसटी सीएमपी-08 को प्रस्तुत करने की तिथि को 31.08.2019 तक बढ़ाना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(दो) सा.का.नि. 583 (अ), जो 20 अगस्त, 2019 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय सीजीएसटी नियम, 2017 के नियम 138ङ के उपबंध के अनुसार ई-वे बिल सुविधा की ब्लाकिंग तथा अनब्लाकिंग की सुविधा को लागू करने की तिथि का विस्तार करके इसे 21.11.2019 करना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(तीन) सा.का.नि. 589 (अ), जो 21 अगस्त, 2019 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय जुलाई, 2019 माह के लिए फॉर्म जीएसटीआर-3बी को प्रस्तुत करने की तिथि को बढ़ाना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(चार) सा.का.नि. 615 (अ), जो 31 अगस्त, 2019 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय वित्तीय वर्ष 2017-2018 और 2018-19 के लिए फॉर्म आईटीसी-04 को दायर करने में छूट देना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(पांच) सा.का.नि. 616 (अ), जो 31 अगस्त, 2019 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय वित्त (सं.2) अधिनियम, 2019 की धारा 103 को प्रभावी करना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(छह) सा.का.नि. 617 (अ), जो 31 अगस्त, 2019 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय जुलाई, 2019 माह के लिए जीएसटीआर-7 प्रस्तुत करने के लिए कुछ मामलों में अंतिम तिथि को बढ़ाना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(सात) सा.का.नि. 618 (अ), जो 31 अगस्त, 2019 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय फॉर्म जीएसटीआर-1 तथा जीएसटीआर-6 के लिए जुलाई, 2019 माह हेतु कुछ मामलों में विलंब शुल्क में छूट देना है बशर्ते उक्त रिटर्न 20.09.2019 तक प्रस्तुत किए जाएं तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(आठ) सा.का.नि. 683 (अ), जो 24 सितम्बर, 2019 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय सीजीएसटी (चौथा संशोधन) नियम, 2019 के नियम 10, 11, 12 तथा 26 को प्रभावी करना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(नौ) सा.का.नि. 767 (अ), जो 9 अक्तूबर, 2019 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय अक्तूबर, 2019 से मार्च, 2020 तक के माह हेतु फॉर्म जीएसटीआर-3बी में रिटर्न को प्रस्तुत करने के लिए निर्धारित तिथि विहित करना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(दस) सा.का.नि. 768 (अ), जो 9 अक्तूबर, 2019 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय अक्तूबर, 2019 से मार्च, 2020 तक की तिमाही हेतु 1.5 करोड़ रूपए तक के कुल कारोबार वाले पंजीकृत व्यक्तियों हेतु फॉर्म जीएसटीआर-1 को प्रस्तुत करने के लिए निर्धारित तिथि विहित करना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(ग्यारह) सा.का.नि. 769 (अ), जो 9 अक्तूबर, 2019 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय अक्तूबर, 2019 से मार्च, 2020 तक के माह हेतु 1.5 करोड़ रूपए से अधिक के कुल कारोबार वाले पंजीकृत व्यक्तियों हेतु फॉर्म जीएसटीआर-1 मे रिटर्न को प्रस्तुत करने के लिए निर्धारित तिथि विहित करना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(बारह) सा.का.नि. 770 (अ), जो 9 अक्तूबर, 2019 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय 2 करोड़ रूपए से कम के कुल कारोबार वाले छोटे करदाताओं तथा जिन्होंने निर्धारित तिथि से पूर्व उक्त रिटर्न दाखिल नहीं किए हैं, के लिए वित्तीय वर्ष 2017-2018 और 2018-19 हेतु सीजीएसटी अधिनियम की धारा 44(1) के अंतर्गत वार्षिक रिटर्न दाखिल किए जाने को वैकल्पिक बनाना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(तेरह) सा.का.नि. 771 (अ), जो 9 अक्तूबर, 2019 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय दिनांक 31 अगस्त, 2019 की अधिसूचना सं.41/2019 में संशोधन करना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(चौदह) 9 अक्तूबर, 2019 के भारत के राजपत्र सा.का.नि. 772 (अ) में प्रकाशित केन्द्रीय वस्तु और सेवा कर (छठां संशोधन) नियम, 2019 तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(पन्द्रह) सा.का.नि. 809(अ), जो 24 अक्तूबर, 2019 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय 18.10.2019 से 22.10.2019 तक चार दिवसों के लिए जुलाई-सितम्बर, 2019 की तिमाही हेतु फॉर्म जीएसटी सीएमपी-08 को दाखिल करने की अंतिम तिथि का विस्तार करना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(सोलह) सा.का.नि. 820(अ), जो 31 अक्तूबर, 2019 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय जम्मू और कश्मीर संघ राज्य क्षेत्र और लद्दाख संघ राज्य क्षेत्र पर जम्मू कमीश्नरी के क्षेत्राधिकार को अधिसूचित करने के लिए अधिसूचना सं. 2/2017-केन्द्रीय कर में संशोधन करना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(सत्रह) सा.का.नि. 539(अ), जो 31 जुलाई, 2019 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय सीजीएसटी को कम करके (क) ई-साइकिल सहित इलेक्ट्रिक वाहनों पर 6 प्रतिशत से 2.5 प्रतिशत (ख) इलेक्ट्रिक वाहनों हेतु चार्जर तथा चार्जिंग स्टेशनों पर 9 प्रतिशत से 2.5 प्रतिशत करने के लिए दिनांक 28 जून, 2017 की अधिसूचना सं. 1/2017 - केन्द्रीय कर (दर) को संशोधित करना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(अठारह) सा.का.नि. 540(अ), जो 31 जुलाई, 2019 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय स्थानीय प्राधिकारियों द्वारा इलेक्ट्रिक बसों को किराए पर लेने के लिए शून्य सीजीएसटी का उपबंध करने हेतु दिनांक 28 जून, 2017 की अधिसूचना सं. 12/2017 - केन्द्रीय कर (दर) को संशोधित करना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(उन्नीस) सा.का.नि. 709(अ), जो 30 सितम्बर, 2019 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय दिनांक 20.09.2019 को हुई जीएसटी परिषद की 37वीं बैठक में की गई सिफारिशों को प्रभावी रूप देने के लिए निर्दिष्ट वस्तुओं हेतु प्रभावी जीएसटी दरों को निर्दिष्ट करने के लिए दिनांक 28.06.2017 की अधिसूचना सं. 1/2017 - केन्द्रीय कर (दर) को संशोधित करना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(बीस) सा.का.नि. 712(अ), जो 30 सितम्बर, 2019 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय सूखी इमली तथा पत्तों से बने हुए कप, प्लेटों, पौधों की छाल तथा फूलों को छूट प्रदान करने के लिए दिनाकं 28.06.2017 की अधिसूचना सं. 2/2017 - केन्द्रीय कर (दर) को संशोधित करना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(इक्कीस) सा.का.नि. 715(अ), जो 30 सितम्बर, 2019 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय एचईएलपीओएएलपी/ के अंतर्गत निर्दिष्ट परियोजनाओं पर रियायती जीएसटी दरों का विस्तार करने तथा अन्य परिवर्तनों के लिए दिनाकं 28.06.2017 की अधिसूचना सं. 3/2017 - केन्द्रीय कर (दर) को संशोधित करना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(बाईस) सा.का.नि. 718(अ), जो 30 सितम्बर, 2019 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय रजिस्ट्रीकृत व्यक्तियों को नामित एजेंसियों द्वारा चांदी और प्लैटीनम की आपूर्ति पर सीजीएसटी छूट देने के लिए दिनाकं 31.12.2018 की अधिसूचना सं. 26/2018 - केन्द्रीय कर (दर) को संशोधित करना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(तेईस) सा.का.नि. 721(अ), जो 30 सितम्बर, 2019 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय समेकन योजना के क्षेत्राधिकार से ऐरेटिड वॉटर के विनिर्माताओं को अलग रखने के लिए दिनाकं 7.3.2019 की अधिसूचना सं. 2/2019 - केन्द्रीय कर (दर) को संशोधित करना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(चौबीस) सा.का.नि. 724(अ), जो 30 सितम्बर, 2019 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय एफएओ के अंतर्गत निर्दिष्ट वस्तुओं के लिए वस्तुओं की आपूर्ति को छूट प्रदान करना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(पच्चीस) सा.का.नि. 729(अ), जो 30 सितम्बर, 2019 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय समेकन योजना के क्षेत्राधिकार से ऐरेटिड वॉटर के विनिर्माताओं को अलग रखने के लिए दिनाकं 7.3.2019 की अधिसूचना सं. 14/2019 - केन्द्रीय कर को संशोधित करना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(छब्बीस) सा.का.नि. 731(अ), जो 30 सितम्बर, 2019 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय दिनांक 20.09.2019 को हुई जीएसटी परिषद की 37वीं बैठक में की गई सिफारिशों के अनुसार विभिन्न सेवाओं की सीजीएसटी दरों को अधिसूचित करने के लिए अधिसूचना सं. 11/2017 - केन्द्रीय कर (दर) को संशोधित करना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(सत्ताईस) सा.का.नि. 734(अ), जो 30 सितम्बर, 2019 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय दिनांक 20.09.2019 को हुई जीएसटी परिषद की 37वीं बैठक में की गई सिफारिशों के अनुसार सेवाओं को छूट प्रदान करने के लिए अधिसूचना सं. 12/2017 - केन्द्रीय कर (दर) को संशोधित करना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(अट्ठाईस) सा.का.नि. 737(अ), जो 30 सितम्बर, 2019 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय दिनांक 20.09.2019 को हुई जीएसटी परिषद की 37वीं बैठक में की गई सिफारिशों के अनुसार विपरीत प्रभार तंत्र (आरसीएम) के अंतर्गत सेवाओं को अधिसूचित करने के लिए अधिसूचना सं. 13/2017 - केन्द्रीय कर (दर) को संशोधित करना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(उनतीस) सा.का.नि. 740(अ), जो 30 सितम्बर, 2019 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय विकास अधिकारों की आपूर्ति से संबंधित उपबंधों की प्रयोजनीयता पर एक स्पष्टीकरण को शामिल करके दिनांक 25 जनवरी, 2018 की अधिसूचना सं. 4/2018 - केन्द्रीय कर (दर) को संशोधित करना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(तीस) सा.का.नि. 743(अ), जो 30 सितम्बर, 2019 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय सीमेंट से संबंधित प्रविष्टि को संशोधित करने के लिए दिनांक 29 मार्च, 2019 की अधिसूचना सं. 7/2019 - केन्द्रीय कर (दर) को संशोधित करना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(इकतीस) सा.का.नि. 746(अ), जो 30 सितम्बर, 2019 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय सीजीएसटी अधिनियम, 2017 की धारा 7(2) के अनुसार मदिरा लाइसेंस प्रदान किए जाने को न तो वस्तु की आपूर्ति तथा न ही सेवा की आपूर्ति मानने को अधिसूचित करना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

[Placed in Library, See No.LT 805/17/19]

(2) प्रतिकर उपकर माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 13 के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण) :-

(एक) सा.का.नि. 707(अ), जो 30 सितम्बर, 2019 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा दिनांक 28 जून, 2017 की अधिसूचना सं. 01/2017-प्रतिकर उपकर (दर) में कतिपय संशोधन किए गए है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(दो) सा.का.नि. 708(अ), जो 30 सितम्बर, 2019 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय तंबाकू और विनिर्मित तंबाकू प्रतिस्थापकों के लिए इन्वर्टिड शुल्क ढांचे के मामले में प्रतिकर उपकर की वापसी को अनुमति न देना तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

[Placed in Library, See No.LT 806/17/19]

(3) सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 की धारा 9क की उपधारा (7) के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) -

(एक) सा.का.नि. 786(अ) जो 15 अक्तूबर, 2019 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय महानिदेशक व्यापार उपचार की दिनांक 15 जुलाई, 2019 की प्रारंभिक निष्कर्ष अधिसूचना सं. 6/4/2019-डीजीटीआर के अधार पर चीन जनवादी गणराज्य, वियतनाम और कोरिया जनवादी गणराज्य से उद्भूत अथवा वहां से निर्यातित 'इस्पात के फ्लैट रोल्ड उत्पाद, एल्यूमीनियम और जिंक की मिश्र धातु के साथ प्लेटेड अथवा कोटेड' पर अधिरोपड़ की तारीख से छह माह की अवधि के लिए अनंतिम प्रतिपाटन शुल्क लगाना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(दो) सा.का.नि. 812(अ) जो 25 अक्तूबर, 2019 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय मैसर्स पीटी. एनर्जी सेजाह्टेरा मास (उत्पादक, इण्डोनेशिया) और सिनारमस केप्सा पीटीई. लि. (निर्यातक, सिंगापुर), से निर्यात होने वाले और भारत में आयात होने वाले 'सेचूरेटेड फेट्टी एल्कॉहल्स' पर न्यू शिपर रिव्यू के अंतिम निष्कर्षों, जिसे निर्दिष्ट प्राधिकारी के द्वारा जारी किया गया था, के अनुसरण में अधिसूचना सं. 28/2018-सीमाशुल्क (एडीडी), दिनांक 25 जून, 2018 को संशोधित करना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(तीन) सा.का.नि. 813(अ) जो 25 अक्तूबर, 2019 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय मैसर्स पीटी. एनर्जी सेजाह्टेरा मास (उत्पादक, इण्डोनेशिया) और सिनारमस केप्सा पीटीई. लि. (निर्यातक, सिंगापुर), से निर्यात होने वाले और भारत में आयात होने वाले 'सेचूरेटेड फेट्टी एल्कॉहल्स' पर न्यू शिपर रिव्यू के अंतिम निष्कर्षों, जिसे निर्दिष्ट प्राधिकारी के द्वारा जारी किया गया था, के अनुसरण में अधिसूचना सं. 13/2019-सीमाशुल्क (एडीडी), दिनांक 14 मार्च, 2019 को संशोधित करना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(चार) सा.का.नि. 495(अ) जो 12 जुलाई, 2019 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय विशेष नागरिक आवेदन सं. 5278/2019 के मामले में, माननीय उच्च न्यायालय, गुजरात दिनांक 03.07.2019 के आदेश के अनुसरण में, चायना पीआर में मूलतः उत्पादित या वहां से निर्यातित 'पैरासिटामोल' के आयातों पर अधिसूचना सं. 26/2013-सीमा शुल्क (एडीडी), दिनांक 28.10.2013 के तहत लगाए गए और अधिसूचना सं. 26/2019 सीमा शुल्क (एडीडी) दिनांक 24 जून, 2019 के तहत अंतिम बार विस्तारित प्रतिपाटन शुल्क के उग्रहण को 27.10.2019 तक और आगे बढ़ाना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(पांच) सा.का.नि. 524(अ) जो 24 जुलाई, 2019 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय अभिहित प्राधिकारी द्वारा संचालित सनसेट समीक्षा जांच के अंतिम निष्कर्ष के अनुसरण में कोरिया जनवादी गणराज्य और थाइलैण्ड से उद्भूत अथवा वहां से निर्यातित 'प्यूरिफाइड टेरिफ्थैलिक एसिड' के आयात पर 5 वर्ष की अवधि के लिए निश्चयात्मक प्रतिपाटन शुल्क लगाना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(छह) सा.का.नि. 549(अ) जो 1 अगस्त, 2019 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय अधिसूचना सं. 16/2018-सीमाशुल्क (एडीडी) दिनांक 23 मार्च, 2018, को निरसित करना है जिससे कि बांग्लादेश में मैसर्स नेचुरल जूट मिल (उत्पादकनिर्यातक/) (बांग्लादेश) और मैसर्स क्रिएशन ग्लोबल, एलएलसी, यूएसए (निर्यातकट्रेडर/) (बांग्लादेश) के द्वारा मूलतः उत्पादित और वहां से भारत को निर्यातित "यार्नट्विन/ (मल्टीपल फोल्डेडकेबल्ड/ एन्ड सिंगल), हैसियन फैब्रिक और जूट सेकिंग बैग्स" के सभी आयातों का अनंतिम आंकलन बंद किया जा सके तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(सात) सा.का.नि. 550(अ) जो 1 अगस्त, 2019 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय अधिसूचना सं. 1/2017-सीमाशुल्क (एडीडी) दिनांक 5 जनवरी, 2017 में और आगे भी संशोधन करना है जिससे कि बांग्लादेश में मैसर्स नेचुरल जूट मिल (उत्पादकनिर्यातक/) (बांग्लादेश) और मैसर्स क्रिएशन ग्लोबल, एलएलसी, यूएसए (निर्यातकट्रेडर/) (बांग्लादेश) के द्वारा मूलतः उत्पादित और वहां से भारत को निर्यातित "यार्नट्विन/ (मल्टीपल फोल्डेडकेबल्ड/ एन्ड सिंगल), हैसियन फैब्रिक और जूट सेकिंग बैग्स" के निर्यातों पर शुल्क तालिका के निर्यातकों की अवशिष्ट श्रेणी के अंतर्गत अंतिम आंकलन निर्धारित किया जा सके तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(आठ) सा.का.नि.561(अ) जो 6 अगस्त, 2019 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय 26.02.2019 की अधिसूचना संख्या 12/2019-सी.शु. (एडीडी) में संशोधन करना है ताकि विनिर्दिष्ट उत्पादक के नाम में शुद्धि की जा सके तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(नौ) सा.का.नि. 568(अ) जो 10 अगस्त, 2019 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय अभिहित प्राधिकारी के सन्सेट रिव्यू के अंतिम निष्कर्षों के अनुसरण में चीन जनवादी गणराज्य और संयुक्त राज्य अमेरिका में मूलतः उत्पादित या वहां से निर्यातित "विनाइल क्लोराइड मोनोमर के होमोपॉलीमर (सस्पेंशन ग्रेड)" के आयात पर 30 महीने की अवधि के लिए निश्चयात्मक प्रतिपाटन शुल्क लगाना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(दस) सा.का.नि. 600(अ) जो 29 अगस्त, 2019 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय अभिहित प्राधिकारी द्वारा प्रतिपाटन जांच के अनुसरण में, छह माह की अवधि के लिए, चायना पीआर और कोरिया आरपी में उद्भूत एवं वहां से निर्यातित 'क्लोरीनयुक्त पॉलीविनाइल क्लोराइड रेसिन-चाहे यौगिक में आगे संसाधित किया गया है या नहीं' के आयातों पर अनंतिम प्रतिपाटन शुल्क लगाना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(ग्यारह) सा.का.नि. 640(अ) जो 6 सितम्बर, 2019 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय चीन जनवादी गणराज्य में उद्भूत और वहां से निर्यातित, मैसर्स कुईतुन जिंजियांग केमिकल इंडस्ट्री कंपनी लि. (उत्पादक) और मैसर्स फोशन कैसीनो बिल्डिंग मेटेरियल कंपनी लि. (निर्यातक) के द्वारा निर्यातित, और भारत में आयातित "मेलामाइन" के आयात से संबंधित न्यू शिपर रिव्यू के अंतिम निष्कर्षों, जिसे निर्दिष्ट प्राधिकारी के द्वारा जारी किया गया था, के अनुसरण में अधिसूचना सं. 2/2016-सीमाशुल्क (एडीडी), दिनांक 28 जनवरी, 2016 में संशोधन करना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(बारह) सा.का.नि. 641(अ) जो 6 सितम्बर, 2019 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय चीन जनवादी गणराज्य में उद्भूत और वहां से निर्यातित, मैसर्स कुईतुन जिंजियांग केमिकल इंडस्ट्री कंपनी लि. (उत्पादक) और मैसर्स फोशन कैसीनो बिल्डिंग मेटेरियल कंपनी लि. (निर्यातक) के द्वारा निर्यातित, और भारत में आयातित "मेलामाइन" के आयात से संबंधित न्यू शिपर रिव्यू के अंतिम निष्कर्षों, जिसे निर्दिष्ट प्राधिकारी के द्वारा जारी किया गया था, के अनुसरण में अधिसूचना सं. 11/2018-सीमाशुल्क (एडीडी), दिनांक 20 मार्च, 2018 का निरसन करना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(तेरह) सा.का.नि.656(अ) जो 14 सितम्बर, 2019 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय 11 अप्रैल, 2015 की अधिसूचना संख्या 11/2015-सी.शु. (एडीडी) को निरस्त करना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(चौदह) सा.का.नि. 657(अ) जो 14 सितम्बर, 2019 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय चीन जनवादी गणराज्य में उद्भूत या निर्यातित होने वाले 'कांच या पोरसेलेनसेरमिक/ के विद्युत इन्सुलेटर, संकलित अथवा नहीं', के आयात पर संबंधित सनसेट रिव्यू जांच की अधिसूचना सं. 7/44/2018-डीजीएडी, दिनांक 17 जुलाई, 2019 के अंतिम परिणामों के आधार पर पांच वर्ष की अवधि के लिए निश्चित प्रतिपाटन शुल्क लगाया जाना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(पन्द्रह) सा.का.नि. 691(अ) जो 25 सितम्बर, 2019 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय ब्राजील, चीन और जर्मनी देशों में उद्भूत या निर्यातित होने वाले "नॉन-कोबाल्ट ग्रेड हाई स्पीड स्टील के बार और छड़, जिनका आयतन 4 एमएम से 163 एमएम तक हो और इसमें मोलिबडेनम, टंगस्टन और वनाडियम जैसे तीन तत्व हो जिसमें टंगस्टन और मोलिबेडीनेयम का संयोजन 4 प्रतिशत-11.5 प्रतिशत और वनाडियम का अधिकतम 3.5 प्रतिशत हो, इसमें कार्बन की मात्रा 0.7 प्रतिशत-1.3 प्रतिशत तक हो और क्रोमियम की मात्रा 3.5 प्रतिशत से 4.6 प्रतिशत तक हो", इस पर व्यापार उपचारों के महानिदेशक के दिनांक 01.08.2019 के अंतिम परिणामों के आधार पर पांच वर्षों के लिए प्रतिपाटन शुल्क लगाया जाना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(सोलह) सा.का.नि. 696(अ) जो 28 सितम्बर, 2019 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय चायना पीआर में उद्भूत अथवा वहां से निर्यातित 'डक्टाइल आयरन पाइप्स' के आयात पर निश्चित प्रतिपाटन शुल्क उग्रहीत करना है और इसे माननीय गुजरात उच्च न्यायालय के आदेश के आधार पर, 9 अक्तूबर, 2019 तक बढ़ाया गया था। माननीय उच्चतम न्यायालय ने माननीय गुजरात उच्च न्यायालय के उक्त आदेश को अपास्त कर दिया है तथा परिणामस्वरूप अधिसूचना सं. 23/2013-सीमा शुल्क (एडीडी), दिनांक 10 अक्तूबर, 2013 को अधिसूचना स. 39/2019-सीमाशुल्क (एडीडी) दिनांक 28.09.2019 के द्वारा निरसित किया गया है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(सत्रह) सा.का.नि. 610(अ) जो 30 अगस्त, 2019 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय व्यापार उपचार महानिदेशालय द्वारा आयोजित जांच की सिफारिशों के आधार पर, पांच वर्ष की अवधि के लिए चीन जनवादी गणराज्य में उद्भूत अथवा वहां से निर्यातित सैकरीन के सभी रूपों में इसके आयात पर सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 की धारा 9 के अंतर्गत निश्चित प्रतिकारी शुल्क का उदग्रहण करना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(अट्ठारह) सा.का.नि. 664(अ) जो 17 सितम्बर, 2019 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय चीन जनवादी गणराज्य में उद्भूत या निर्यातित होने वाले 'एटराजिन टेक्नीकल' के आयात पर व्यापार उपचारों के महानिदेशक द्वरा करवाई गई जांच की सिफारिशों के आधार पर पांच वर्षों (17.09.2019 से लागू) के लिए कस्टम टेरिफ अधिनियम, 1975 की धारा 9 के तहत निश्चित प्रतिकारी शुल्क लगाया जाना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(उन्नीस) सा.का.नि. 665(अ) जो 17 सितम्बर, 2019 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय चीन जनवादी गणराज्य और वियतनाम में उद्भूत या निर्यातित होने वाले 'वेल्डेड स्टेनलेस स्टील पाइप्स एंड ट्यूब्स' पर व्यापार उपचारों के महानिदेशक के दिनांक 31.07.2019 के अंतिम परिणामों के आधार पर पांच वर्षों के लिए प्रतिकारी शुल्क लगाया जाना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(बीस) सा.का.नि. 632(अ) जो 4 सितम्बर, 2019 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय व्यापार उपचार महानिदेशालय की सिफारिश के आधार पर अधिसूचना सं. 53/2011, दिनांक 01.07.2011 में संशोधन करना है जिससे कि मलेशिया में उद्भूत और भारत-मलेशिया बृहत आर्थिक सहयोग करार के अंतर्गत आयातित आरबीडी पामोलिनपाम/ ऑयल पर 180 दिनों की अवधि के लिए सीमाशुल्क की दर में 5 प्रतिशत की बढ़ोतरी की जा सके तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(इक्कीस) सा.का.नि.833(अ) जो 11 नवम्बर, 2019 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय 07 मई, 2018 की अधिसूचना संख्या 24/2018-सी.शु. (एडीडी) को निरस्त करना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(बाईस) सा.का.नि. 834(अ) जो 11 नवम्बर, 2019 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय मैसर्स रोमन जूट मिल्स लिमिटेड (उत्पादकनिर्यातक/) और मैसर्स एसएमपी इंटरनेशनल, एलएलसी, यूएसए (निर्यातकट्रेडर/), मैसर्स अजीज फाइबर्स लिमिटेड (उत्पादकनिर्यातक/), बांग्लादेश मैसर्स नातोर जूट मिल्स (उत्पादक) बांग्लादेश और मैसर्स पीएनपी जूट ट्रेडिंग एलएलसी (निर्यातकट्रेडर/), यूएसए द्वारा बांग्लादेश से उद्भूत अथवा वहां से निर्यातित 'जूट सैकिंग बैग्स और यार्न' के भारत में आयात पर प्रतिपाटन शुल्क निर्धारित करने के लिए अधिसूचना सं. 1/2017-सीमा शुल्क (एडीडी) दिनांक 5 जनवरी, 2017 को निरस्त करके आगे संशोधन करना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

[Placed in Library, See No.LT 807/17/19]

(4) सीमा-शुल्क अधिनियम, 1962 की धारा 159 के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-

(एक) सा.का.नि. 666(अ) जो 17 सितम्बर, 2019 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय अधिसूचना सं. 50/2017-सीमाशुल्क दिनांक 30.06.2017 में संशोधन करके ओपन सेल (15.6" से और इससे अधिक) जिनका उपयोग लिक्विड क्रिस्टल डिस्पले (एलसीडी) और लाईट एमीटिंग डीओएड (एलईडी) टीवी पैनलों को बनाने के लिए किया जाता है, इस पर आधार सीमाशुल्क को कम करे जो कि मौजूदा समय में 5 प्रतिशत है, को शून्य किया जाना है और कतिपय विशिष्ट माल जिनका उपयोग लिक्विड क्रिस्टल डिसप्ले (एलसीडी) और लाईट एमीटिंग डीओएड (एलईडी) टीवी पैनलों के ओपन सेल को बनाने के लिए किया जाता है जिस पर मौजूदा आधार सीमा शुल्क जो कि 15 प्रतिशत है, जिसे घटाकर 30 सितम्बर, 2020 तक शून्य किया जाना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(दो) सा.का.नि. 684(अ) जो 24 सितम्बर, 2019 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय अधिसूचना सं. 50/2017-सीमाशुल्क दिनांक 30.06.2017 में संशोधन करके हाइड्रोकार्बन एक्सप्लोरेशन लाइसेंसिंग पॉलिसी (एचईएलपी) तथा ओपन एक्रेज एंड लाइसेंसिंग पॉलिसी (ओएलपी) के विशेष अनुबंधों के तहत पेट्रोलियम ऑपरेशन या कोल बेड मीथेन आपरेशन पर छूट प्रदान करना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(तीन) सा.का.नि.726(अ) जो 30 सितम्बर, 2019 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय विनिर्दिष्ट परियोजनाओं के लिए एफएओ द्वारा आयातों में छूट देना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(चार) सा.का.नि. 706(अ) जो 30 सितम्बर, 2019 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय अधिसूचना सं. 39/96-सीमाशुल्क दिनांक 23.07.1996 में संशोधन करना है जिससे 03.12.2021 तक मूल सीमा शुल्क ड्यूटी (बीसीडी) से लेकर मशीनरी तक उपकरण, साधन, घटक, पुर्जे, औजार, सहायक उपकरण, कम्प्यूटर साफ्टवेयर, माक अप और माडल, रक्षा मंत्रालय के लाईट काम्बेट एयर क्राफ्ट प्रोग्राम (एलसीएपी) के लिए अपेक्षित कच्चा माल और उपभोग्य सामग्री पर छूट उपलब्ध कराई जा सके तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(पांच) सा.का.नि.727(अ) जो 30 सितम्बर, 2019 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय 30 जून, 2017 की अधिसूचना सं. 50/2017-सी.शु. में और संशोधन करना है ताकि जीएसटी परिषद की दिनांक 20.09.2019 को हुई 37वीं बैठक की सिफारिशों को लागू किया जा सके तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(छह) सा.का.नि.728(अ) जो 30 सितम्बर, 2019 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय 6 जुलाई, 2019 की अधिसूचना सं. 19/2019-सी.शु. में और संशोधन करना है ताकि जीएसटी परिषद की दिनांक 20.09.2019 को हुई 37वीं बैठक की सिफारिशों को लागू करने के लिए आईजीएसटी विनिर्दिष्ट रक्षा वस्तुओं को छूट दी जा सके तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

[Placed in Library, See No.LT 808/17/19]

(5) संघ राज्य क्षेत्र माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 24 के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) :-

(एक) सा.का.नि. 543 (अ), जो 31 जुलाई, 2019 के भारत के राजपत्र में में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय 28 जून, 2017 की अधिसूचना सं. 1/2017-संघ राज्य क्षेत्र कर (दर) का संशोधन करना है ताकि यूटीजीएसटी को (क) ई-बाइसिकिल सहित विद्युत वाहनों पर 6 प्रतिशत से 2.5 प्रतिशत (ख) विद्युत वाहनों के लिए चार्जर और चार्जिंग स्टेशनों पर 9 प्रतिशत से 2.5 प्रतिशत तक कम किया जा सके तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(दो) सा.का.नि.544(अ) जो 31 जुलाई, 2019 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय 28 जून, 2017 की अधिसूचना सं. 12/2017-संघ राज्य क्षेत्र कर (दर) का संशोधन करना है ताकि स्थानीय प्राधिकारियों द्वारा विद्युत बसों को किराए पर लेने पर शून्य यूटीजीएसटी प्रदान किया जा सके तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(तीन) सा.का.नि.711(अ) जो 30 सितम्बर, 2019 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय 28.06.2017 की अधिसूचना सं. 1/2017- संघ राज्य क्षेत्र कर (दर) में संशोधन करना है ताकि जीएसटी परिषद की दिनांक 20.09.2019 को हुई 37वीं बैठक की सिफारिशों को लागू करने के लिए विनिर्दिष्ट वस्तुओं के लिए प्रभावी यूटीजीएसटी दर निर्दिष्ट की जा सके तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(चार) सा.का.नि.714(अ) जो 30 सितम्बर, 2019 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय 28.06.2017 की अधिसूचना सं. 2/2017- संघ राज्य क्षेत्र कर (दर) में संशोधन करना है ताकि शुष्क इमली तथा पत्तों से बने कपों, प्लेटों, पौधों की छाल और फूलों को छूट दी जा सके तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(पांच) सा.का.नि.717(अ) जो 30 सितम्बर, 2019 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय 28.06.2017 की अधिसूचना सं. 3/2017- संघ राज्य क्षेत्र कर (दर) में संशोधन करना है ताकि एचईएलपीओएएलओ/ के अंतर्गत विनिर्दिष्ट परियोजनाओं और अन्य परिवर्तनों के लिए रियायती यूटीजीएसटी दरें प्रदान की जा सकें तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(छह) सा.का.नि.720(अ) जो 30 सितम्बर, 2019 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय 31.12.2018 की अधिसूचना सं. 26/2018- संघ राज्य क्षेत्र कर (दर) में संशोधन करना है ताकि नामनिर्दिष्ट एजेंसियों द्वारा पंजीकृत व्यक्तियों को चांदी और प्लेटिनम की आपूर्तियों पर यूटीजीएसटी में छूट दी जा सके तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(सात) सा.का.नि.722(अ) जो 30 सितम्बर, 2019 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय 07.03.2019 की अधिसूचना सं. 2/2019- संघ राज्य क्षेत्र कर (दर) में संशोधन करना है ताकि वातित जलों के विनिर्माताओं को संरचना स्कीम के क्षेत्राधिकार से हटाया जा सके तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(आठ) सा.का.नि.725(अ) जो 30 सितम्बर, 2019 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय एफएओ के अंतर्गत विनिर्दिष्ट परियोजनाओं के लिए माल की आपूर्ति से छूट प्रदान करना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(नौ) सा.का.नि.732(अ) जो 30 सितम्बर, 2019 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय अधिसूचना सं. 11/2017- संघ राज्य क्षेत्र कर (दर) में संशोधन करना है ताकि जीएसटी परिषद की दिनांक 20.09.2019 को हुई 37वीं बैठक में की गई सिफारिशों के अनुसार कतिपय सेवाओं की जीएसटी दरों को अधिसूचित किया जा सके तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(दस) सा.का.नि.735(अ) जो 30 सितम्बर, 2019 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय अधिसूचना सं. 12/2017- संघ राज्य क्षेत्र कर (दर) में संशोधन करना है ताकि जीएसटी परिषद की दिनांक 20.09.2019 को हुई 37वीं बैठक में की गई सिफारिशों के अनुसार कतिपय सेवाओं को छूट दी जा सके तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(ग्यारह) सा.का.नि.738(अ) जो 30 सितम्बर, 2019 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय अधिसूचना सं. 13/2017- संघ राज्य क्षेत्र कर (दर) में संशोधन करना है ताकि जीएसटी परिषद की दिनांक 20.09.2019 को हुई 37वीं बैठक में की गई सिफारिशों के अनुसार रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म के अंतर्गत कतिपय सेवाओं को अधिसूचित किया जा सके तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(बारह) सा.का.नि.741(अ) जो 30 सितम्बर, 2019 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय विकास अधिकारों के प्रदाय से संबंधित उपबंधों की प्रयोजनियता पर स्पष्टीकरण शामिल करते हुए 25 जनवरी, 2018 की अधिसूचना सं. 04/2018- संघ राज्य क्षेत्र कर (दर) में संशोधन करना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(तेरह) सा.का.नि.744(अ) जो 30 सितम्बर, 2019 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय सीमेंट से संबंधित प्रविष्टि का संशोधन करने के लिए 29 मार्च, 2019 की अधिसूचना सं. 07/2019- संघ राज्य क्षेत्र कर (दर) में संशोधन करना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(चौदह) सा.का.नि.747(अ) जो 30 सितम्बर, 2019 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय सीजीएसटी अधिनियम, 2017 की धारा 7(2) के साथ पठित यूटीजीएसटी अधिनियम की धारा 21 (झ) के अनुसार एल्कॉहलिक लिकर लाइसेंस प्रदान किए जाने को न तो माल की आपूर्ति और न ही सेवा की आपूर्ति के रूप में अधिसूचित करना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

[Placed in Library, See No.LT 809/17/19]

(6) केन्द्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम, 1944 की धारा 38 की उप-धारा (2) के अंतर्गत अधिसूचना सं. सा.का.नि. 591(अ) जो 22 अगस्त, 2019 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जिसका आशय नागरिक उड्डयन मंत्रालय द्वारा यथा अधिसूचित या योजना अवधि के अंत तक जो भी पहले हो क्षेत्रीय संपर्क योजना (आरसीएस) - उड़े देश का आम नागरिक (उड़ान) हवाई अड्डा या हेलिपोर्ट या वॉटरड्रोम के परिचालन की तिथि से तीन वर्ष की अवधि समाप्त होने तक आरसीएस-उड़ान हवाई अड्डे या हेलिपोर्ट या वॉटरड्रोम से आहरित एटीएफ पर 2 प्रतिशत मूल उत्पाद शुल्क की वैधता को बढ़ाना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

[Placed in Library, See No.LT 810/17/19]

(7) बीमा अधिनियम, 1938 की धारा 114क तथा बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण अधिनियम, 1999 की धारा 27 के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक - एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-

(एक) भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण (बीमा अभिकर्ताओं और बीमा मध्यवर्तियों को कमीशन अथवा पारिश्रमिक अथवा पुरस्कार का संदाय)(पहला संशोधन) विनियम, 2017 जो 18 अप्रैल, 2017 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या एफ. सं. आईआरडीएआई/.रेग/3/140/2017 में प्रकाशित हुए थे।

(दो) भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण (नियुक्त बीमांकक) विनियम, 2017 जो 9 मई, 2017 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या एफ. सं. आईआरडीएआई/.रेग/6/143/2017 में प्रकाशित हुए थे।

(तीन) भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण (बीमा मध्यवर्ती)(संशोधन) विनियम, 2019 जो 1 नवम्बर, 2019 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या एफ. सं. आईआरडीएआई/.रेग/13/164/2019 में प्रकाशित हुए थे।

(चार) भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण (सामान्य लोक सेवक केन्द्रों द्वारा बीमा सेवाएं) विनियम, 2019 जो 2 अगस्त, 2019 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या एफ. सं. आईआरडीएआई /रेग/.12/163/2019 में प्रकाशित हुए थे।

(8) उपर्युक्त (7) की मद संख्या (एक) और (दो) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारणों को दर्शाने वाले दो विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) ।

[Placed in Library, See No.LT 811/17/19]

(9) बीमा अधिनियम, 1938 की धारा 114 की उपधारा (3) के अंतर्गत भारतीय बीमा कंपनी (विदेशी निवेश) संशोधन नियम, 2019 जो 2 सितम्बर, 2019 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 619(अ) में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[Placed in Library, See No.LT 812/17/19]

(10) प्रतिभूति संविदा (विनियमन) अधिनियम, 1956 की धारा 30 की उप-धारा (3) के अंतर्गत अधिसूचना सं. का.आ. 3743(अ) जो 18 अक्तूबर, 2019 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जिसके द्वारा उक्त अधिनियम की धारा 2(कग)(घ) के अंतर्गत 'माल में विकल्प' को 'व्युत्पन्न' के रूप में घोषित किया गया है, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[Placed in Library, See No.LT 813/17/19]

(11) कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 469 की उपधारा (4) के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) :-

(एक) निवेशक शिक्षा और संरक्षण निधि प्राधिकरण (लेखाकरण, लेखापरीक्षा, अंतरण और वापसी) दूसरा संशोधन नियम, 2019 जो 14 अगस्त, 2019 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 571(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(दो) निवेशक शिक्षा और संरक्षण निधि प्राधिकरण (महाप्रबंधक और सहायक महाप्रबंधक की भर्ती, वेतन तथा सेवा के अन्य निबंधन और शर्तें) संशोधन नियम, 2019 जो 30 सितम्बर, 2019 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 702(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(तीन) निवेशक शिक्षा और संरक्षण निधि प्राधिकरण (उप महाप्रबंधक, निजी सचिव, वैयक्तिक सहायक, आशुलिपिक, वरिष्ठ सचिवालयी सहायक (एसएसए) तथा कनिष्ठ सचिवालय सहायक (जेएसए) की भर्ती, वेतन तथा सेवा के अन्य निबंधन और शर्तें) संशोधन नियम, 2019 जो 30 सितम्बर, 2019 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 703(अ) में प्रकाशित हुए थे।

[Placed in Library, See No.LT 814/17/19]

(12) एकीकृत माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 24 के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) :-

(एक) सा.का.नि. 541 (अ), जो 31 जुलाई, 2019 के भारत के राजपत्र में में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय 28 जून, 2017 की अधिसूचना सं. 1/2017- एकीकृत कर (दर) का संशोधन करना है ताकि आईजीएसटी को (क) ई-बाइसिकिल सहित विद्युत वाहनों पर 12 प्रतिशत से 5 प्रतिशत (ख) विद्युत वाहनों के लिए चार्जर और चार्जिंग स्टेशनों पर 18 प्रतिशत से 5 प्रतिशत तक कम किया जा सके तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(दो) सा.का.नि.542(अ) जो 31 जुलाई, 2019 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय 28 जून, 2017 की अधिसूचना सं. 9/2017- एकीकृत कर (दर) का संशोधन करना है ताकि स्थानीय प्राधिकारियों द्वारा विद्युत बसों को किराए पर लेने पर शून्य आईजीएसटी प्रदान किया जा सके तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(तीन) सा.का.नि.710(अ) जो 30 सितम्बर, 2019 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय 28.06.2017 की अधिसूचना सं. 1/2017-एकीकृत कर (दर) में संशोधन करना है ताकि जीएसटी परिषद की दिनांक 20.09.2019 को हुई 37वीं बैठक की सिफारिशों को लागू करने के लिए विनिर्दिष्ट वस्तुओं के लिए प्रभावी आईजीएसटी दर निर्दिष्ट की जा सके तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(चार) सा.का.नि.713(अ) जो 30 सितम्बर, 2019 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय 28.06.2017 की अधिसूचना सं. 2/2017-एकीकृत कर (दर) में संशोधन करना है ताकि शुष्क इमली तथा पत्तों से बने कपों, प्लेटों, पौधों की छाल और फूलों को छूट दी जा सके तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(पांच) सा.का.नि.716(अ) जो 30 सितम्बर, 2019 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय 28.06.2017 की अधिसूचना सं. 3/2017-एकीकृत कर (दर) में संशोधन करना है ताकि एचईएलपीओएएलपी/ के अंतर्गत विनिर्दिष्ट परियोजनाओं और अन्य परिवर्तनों के लिए रियायती आईजीएसटी दरें प्रदान की जा सकें तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(छह) सा.का.नि.719(अ) जो 30 सितम्बर, 2019 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय 31.12.2018 की अधिसूचना सं. 27/2018-एकीकृत कर (दर) में संशोधन करना है ताकि नामनिर्दिष्ट एजेंसियों द्वारा पंजीकृत व्यक्तियों को चांदी और प्लेटिनम की आपूर्तियों पर आईजीएसटी में छूट दी जा सके तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(सात) सा.का.नि.723(अ) जो 30 सितम्बर, 2019 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय एफएओ के अंतर्गत विनिर्दिष्ट परियोजनाओं के लिए माल की आपूर्ति से छूट प्रदान करना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(आठ) सा.का.नि.730(अ) जो 30 सितम्बर, 2019 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय अधिसूचना सं. 8/2017- एकीकृत कर (दर) में संशोधन करना है ताकि जीएसटी परिषद की दिनांक 20.09.2019 को हुई 37वीं बैठक में की गई सिफारिशों के अनुसार विभिन्न सेवाओं की जीएसटी दरों को अधिसूचित किया जा सके तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(नौ) सा.का.नि.733(अ) जो 30 सितम्बर, 2019 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय अधिसूचना सं. 9/2017- एकीकृत कर (दर) में संशोधन करना है ताकि जीएसटी परिषद की दिनांक 20.09.2019 को हुई 37वीं बैठक में की गई सिफारिशों के अनुसार कतिपय सेवाओं को छूट दी जा सके तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(दस) सा.का.नि.736(अ) जो 30 सितम्बर, 2019 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय अधिसूचना सं. 10/2017- एकीकृत कर (दर) में संशोधन करना है ताकि जीएसटी परिषद की दिनांक 20.09.2019 को हुई 37वीं बैठक में की गई सिफारिशों के अनुसार रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म के अंतर्गत कतिपय सेवाओं को अधिसूचित किया जा सके तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(ग्यारह) सा.का.नि.739(अ) जो 30 सितम्बर, 2019 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय विकास अधिकारों के प्रदाय से संबंधित उपबंधों की प्रयोजनियता पर स्पष्टीकरण शामिल करते हुए 25 जनवरी, 2018 की अधिसूचना सं. 04/2018- एकीकृत कर (दर) में संशोधन करना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(बारह) सा.का.नि.742(अ) जो 30 सितम्बर, 2019 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय सीमेंट से संबंधित प्रविष्टि का संशोधन करके 29 मार्च, 2019 की अधिसूचना सं. 07/2019- एकीकृत कर (दर) में संशोधन करना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(तेरह) सा.का.नि.745(अ) जो 30 सितम्बर, 2019 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय सीजीएसटी अधिनियम, 2017 की धारा 7(2) के साथ पठित आईजीएसटी अधिनियम की धारा 20 (झ) के अनुसार एल्कॉहलिक लिकर लाइसेंस प्रदान किए जाने को न तो माल की आपूर्ति और न ही सेवा की आपूर्ति के रूप में अधिसूचित करना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(चौदह) सा.का.नि.748(अ) जो 30 सितम्बर, 2019 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय जीएसटी परिषद की 20.09.2019 को हुई 37वीं बैठक में की गई सिफारिशों के अनुसार आईजीएसटी अधिनियम की धारा 13(13) के अनुसार भेषजिक क्षेत्र से संबंधित आरएण्डडी सेवाओं के प्रदाय के स्थान को अधिसूचित करना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

[Placed in Library, See No.LT 815/17/19]

(13) केन्द्रीय माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 172 के अंतर्गत अधिसूचना सं. का.आ. 3071(अ) जो 26 अगस्त, 2019 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जिसका आशय वित्तीय वर्ष 2017-18 के लिए प्ररूप जीएसटीआर - 9, जीएसटीआर - 9क और जीएसटीआर - 9ग में वार्षिक विवरणी/समाधान विवरण दाखिल करने के लिए देय तारीख को 30 नवम्बर, 2019 तक बढ़ाकर वार्षिक विवरणियों को दाखिल करने के बारे में कठिनाइयों को हटाना है, की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

[Placed in Library, See No.LT 816/17/19]

14.03 hrs

(*At this stage, Shri B. Manickam Tagore, Shri Hasnain Masoodi, Adv. A.M. Ariff and some other hon. Members came and stood on the floor near the Table.*)

…(*Interruptions*)

14.03 ½ hrs

STANDING COMMITTEE ON INDUSTRY
295th and 296th Reports

SHRI RAMPRIT MANDAL (JHANJHARPUR): Madam, I beg to lay on the table the following Reports (Hindi and English versions) of the Standing Committee on Industry:-

(1) 295th Report on Action Taken on the recommendations contained in the 289th Report of the Committee on Credit Linked Capital Subsidy Scheme pertaining to the Ministry of Micro, Small and Medium Enterprises.

(2) 296th Report on Action Taken on the recommendations contained in the 290th Report of the Committee on Professionalisation of Boards of CPSEs pertaining to the Ministry of Heavy Industries and Public Enterprises (Department of Public Enterprises).

14.04 hrs

ELECTION TO COMMITTEE

Central Building and other construction workers' Advisory Committee

श्रम और रोजगार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री संतोष कुमार गंगवार): माननीय सभापति महोदया, मैं निम्नलिखित प्रस्ताव प्रस्तुत करता हूँ:

"कि भवन और अन्य निर्माण कामगार (नियोजन का विनियमन और सेवा की शर्तें) केन्द्रीय नियम,1998 के नियम 11(2) के साथ पठित भवन और अन्य निर्माण कामगार (नियोजन का विनियमन और सेवा की शर्तें) अधिनियम, 1996 की धारा 3(2)(ख) के अनुसरण में, इस सभा के सदस्य, ऐसी रीति से जैसा कि अध्यक्ष निदेश दें, उक्त अधिनियम के अन्य उपबंधों तथा उसके अधीन बनाये गए नियमों के अध्यधीन केन्द्रीय भवन और अन्य निर्माण कामगार परामर्शी समिति के सदस्यों के रूप में कार्य करने के लिए अपने में से दो सदस्य निर्वाचित करें। "

माननीय सभापति: प्रश्न यह है:

"कि भवन और अन्य निर्माण कामगार (नियोजन का विनियमन और सेवा की शर्तें) केन्द्रीय नियम,1998 के नियम 11(2) के साथ पठित भवन और अन्य निर्माण कामगार (नियोजन का विनियमन और सेवा की शर्तें) अधिनियम, 1996 की धारा 3(2)(ख) के अनुसरण में, इस सभा के सदस्य, ऐसी रीति से जैसा कि अध्यक्ष निदेश दें, उक्त अधिनियम के अन्य उपबंधों तथा उसके अधीन बनाये गए नियमों के अध्यधीन केन्द्रीय भवन और अन्य निर्माण कामगार परामर्शी समिति के सदस्यों के रूप में कार्य करने के लिए अपने में से दो सदस्य निर्वाचित करें। "

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

…(व्यवधान)

14.04 ½ hrs

GOVERNMENT BILLS- Introduced

(i) Taxation Laws (Amendment) Bill, 2019*

THE MINISTER OF FINANCE AND MINISTER OF CORPORATE AFFAIRS (SHRIMATI NIRMALA SITHARAMAN): Madam, I beg to move for leave to introduce a Bill further to amend the Income-tax Act, 1961 and to amend the Finance (No.2) Act, 2019. *....(Interruptions)*

HON. CHAIRPERSON: Shri N. K. Premachandran *ji.*

....(Interruptions)

माननीय सभापति: प्रश्न यह है**:**

" कि आयकर अधिनियम, 1961 का और संशोधन करने वाले तथा वित्त (संख्यांक 2) अधिनियम, 2019 का संशोधन करने वाले विधेयक को पुर**:**स्थापित करने की अनुमति प्रदान की जाए। "

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

SHRIMATI NIRMALA SITHARAMAN: I introduce** the Bill. *....(Interruptions)*

---

* Published in the Gazette of India, Extraordinary, Part-II, Section-2, dated 25.11.2019.

** Introduced with the recommendation of the President.

14.05 hrs

(ii) International Financial Services Centres Authority Bill, 2019*

THE MINISTER OF FINANCE AND MINISTER OF CORPORATE AFFAIRS (SHRIMATI NIRMALA SITHARAMAN): Madam, I beg to move for leave to introduce a Bill to provide for the establishment of an Authority to develop and regulate the financial services market in the International Financial Services Centres in India and for matters connected therewith or incidental thereto. *....(Interruptions)*

HON. CHAIRPERSON: Shri Adhir Ranjan Chowdhury.

....(Interruptions)

माननीय सभापति: प्रश्न यह है:

"कि भारत में अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केन्द्रों में वित्तीय सेवा बाजार विकसित और विनियमित करने हेतु एक प्राधिकरण स्थापित करने के लिए और उससे संबंधित या उसके आनुषंगिक विषयों का उपबंध करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति प्रदान की जाए। "

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

SHRIMATI NIRMALA SITHARAMAN: I introduce** the Bill. *....(Interruptions)*

---

* Published in the Gazette of India, Extraordinary, Part-II, Section-2, dated 25.11.2019.

** Introduced with the recommendation of the President.

… (*Interruptions*)

HON. CHAIRPERSON : Item No. 13 – Shri Mansukh L. Mandaviya.

… (*Interruptions*)

14.05 ½ hrs

(iii)Recycling of Ships Bill, 2019[*]

THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF SHIPPING AND MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF CHEMICALS AND FERTILIZERS (SHRI MANSUKH L. MANDAVIYA): Madam, I beg to move for leave to introduce a Bill to provide for the regulation of recycling of ships by setting certain standards and laying down the statutory mechanism for enforcement of such standards and for matters connected therewith or incidental thereto. …(*Interruptions*)

HON. CHAIRPERSON: Shri Adhir Ranjan Chowdhury.

… (*Interruptions*)

माननीय सभापति : प्रश्न यह है:

"कि कतिपय मानक स्थापित करके पोत पुनर्चक्रण के विनियमन और ऐसे मानकों के प्रवर्तन के लिए कानूनी क्रिया विधि अधिकथित करने के लिए और उससे संबंधित या उसके आनुषंगिक विषयों का उपबंध करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति प्रदान की जाए। "

[*] Published in the Gazette of India, Extraordinary, Part-II, Section-2, dated 25.11.2019.

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

… (*Interruptions*)

SHRI MANSUKH L. MANDAVIYA: Madam, I introduce the Bill.

… (*Interruptions*)

14.06 hrs

(iv) Special Protection Group (Amendment) Bill, 2019*

HON. CHAIRPERSON : Item No. 13 A – Shri G. Kishan Reddy.

… (*Interruptions*)

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जी. किशन रेड्डी): श्री अमित शाह की ओर से, मैं प्रस्ताव करता हूं कि विशेष संरक्षा ग्रुप अधिनियम, 1988 का और संशोधन करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति प्रदान की जाए। …(व्यवधान)

HON. CHAIRPERSON: Shri Adhir Ranjan Chowdhury.

… (*Interruptions*)

माननीय सभापति: प्रश्न यह है:

"कि विशेष संरक्षा ग्रुप अधिनियम, 1988 का और संशोधन करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति प्रदान की जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

…(व्यवधान)

श्री जी. किशन रेड्डी : मैं विधेयक को पुर:स्थापित करता हूं।

---

* Published in the Gazette of India, Extraordinary, Part-II, Section-2, dated 25.11.2019.

14.07 hrs.

MATTERS UNDER RULE 377*

माननीय सभापति : माननीय सदस्यगण, नियम 377 के अधीन मामलों को 20 मिनट के भीतर व्यक्तिगत रूप से सभा पटल पर रख दें । शेष को व्यपगत माना जाएगा।

…(व्यवधान)

(i) Need to undertake repair of national highway passing through Raver Parliamentary Constituency, Maharashtra

श्रीमती रक्षा निखिल खडसे (रावेर): महाराष्ट्र राज्य में अति ज्यादा वर्षा के कारण नेशनल हाईवे की स्थिति बहुत ही गंभीर अवस्था में है । मेरे रावेर निर्वाचन क्षेत्र में आने वाले एन.एच. 6, भुसावल से औरंगाबाद, भुसावल से धुलिया होते हुए गुजरात राज्य तक तथा भुसावल से अकोला चिखली से आगे नांदुरा और खामगांव होते हुए नागपुर और कोलकाता के सभी सड़कों की स्थिति अत्यन्त खराब है जिससे कार, बड़े ट्रक, ट्रेलर को बड़ी मात्रा में क्षति पहुंच रही है और दुर्घटनाओं के परिमाण का स्तर भी बढ़ा हुआ है ।

मैं माननीय मंत्री जी से अनुरोध करती हूँ कि ऐसे सभी नेशनल हाईवेज में कम से कम वाहन चलाने की स्थिति में लाने हेतु मरम्मत कार्य की शुरूआत जल्द से जल्द करने का अनुरोध करती हूँ।

* Treated as laid on the Table.

(ii) Need to confer Bharat Ratna award on Veer Savarkar, the great revolutionary and social reformer

श्री गोपाल शेट्टी (मुम्बई उत्तर): यह सर्वविदित है कि भारत के महान क्रांतिकारी और सावरकर विश्वभर के क्रांतिकारियों में अद्वितीय रहे हैं और वे भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के अग्रिम पंक्ति के सेनानी एवं प्रखर राष्ट्रवादी नेता थे तथा उनका नाम ही भारतीय क्रांतिकारियों के लिए उनका संदेश था।

वीर सावरकर एक महान क्रांतिकारी, इतिहासकार, समाज सुधारक, विचारक, चिंतक, साहित्यकार थे तथा उनकी पुस्तकें क्रांतिकारियों के लिए गीता के समान थीं । उन्होंने राष्ट्रध्वज तिरंगे के बीच में धर्म चक्र लगाने का सुझाव सर्वप्रथम दिया था जिसे तत्कालीन राष्ट्रपति डा. राजेन्द्र प्रसाद ने स्वीकार कर लिया था और उन्होंने ही सबसे पहले राष्ट्र की पूर्ण स्वतंत्रता हेतु भारत के स्वतंत्रता आंदोलन का लक्ष्य घोषित किया।

वीर सावरकर ही ऐसे प्रथम राजनीतिक बंदी थे, जिन्हें विदेशी (फ्रांस) भूमि पर बंदी बनाने के कारण मामला, हेग के अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में पहुंचा और साथ ही वे एक ऐसे पहले क्रांतिकारी भी रहे, जिन्होंने राष्ट्र के सर्वांगीण विकास का चिंतन किया तथा बंदी जीवन समाप्त होते ही जिन्होंने अस्पृशयता आदि कुरीतियों के विरूद्ध आंदोलन शुरू किया । वास्तव में उनका पूर्ण जीवन बहुआयामी रहा और उन्होंने सम्पूर्ण जीवन स्वराज्य की प्राप्ति के लिए संघर्ष किया।

वीर सावरकर दुनिया के ऐसे पहले कवि भी थे, जिन्होंने अंडमान के एकांत कारावास में जेल की दीवारों पर कील और कोयले से कविताएं लिखीं और फिर उन्हें याद किया । इस प्रकार याद की हुई 10 हजार पंक्तियों को उन्होंने जेल से छूटने के बाद पुनः लिखा । उनके द्वारा लिखित पुस्तक "दि इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस-1857" एक सनसनीखेज पुस्तक रही, जिसने ब्रिटिश शासन को हिला डाला था । अतः मेरा सरकार से अनुरोध है कि वह राष्ट्र के महान क्रांतिकारी और समाज सुधारक वीर सावरकर को भारत रत्न से सम्मानित किए जाने हेतु आवश्यक निर्देश प्रदान करें।

(iii) Need to set up a Regional Outreach Bureau in Kheri Parliamentary Constituency, Uttar Pradesh

श्री अजय मिश्र टेनी (खीरी): भारत सरकार द्वारा चलायी जा रही जन कल्याणकारी योजनाओं एवं कार्यक्रमों के प्रचार/प्रसार हेतु सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय द्वारा मेरे लोक सभा क्षेत्र लखीमपुर खीरी में मंत्रालय के विभाग क्षेत्रीय प्रचार निदेशालय (रीजनल आउटरीच ब्यूरो) कार्यरत था जिसके कारण केन्द्र सरकार के सभी कार्यक्रमों की जानकारी लोगों को सुविधाजनक तरीके से प्राप्त हो रही थी, परंतु अगस्त, 2018 में क्षेत्रीय प्रचार निदेशालय का मर्जर रीजनल आउटरीच ब्यूरो मे किये जाने से लखीमपुर खीरी ईकाई को बंद कर दिया गया । उल्लेखनीय है कि लखनऊ क्षेत्र में आने वाले सभी आउटरीच ब्यूरो कार्यालय पूर्वांचल जैसे आजमगढ़ आदि में स्थापित होने के कारण इनका कार्य क्षेत्र आस-पास के जिलों में सीमित होने की वजह से मध्य उ0प्र0 (अवध क्षेत्र) प्रचार इकाई विहीन क्षेत्र हो गया है।

अतः भारत सरकार के सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय से अनुरोध है कि केन्द्र सरकार के समस्त कार्यक्रमों की विधिवत जानकारी व प्रचार-प्रसार हेतु मेरे लोक सभा क्षेत्र लखीमपुर खीरी में मंत्रालय के रीजनल आउटरीच कार्यालय को स्थापित करने हेतु निर्देश देने की कृपा करें।

(iv) Need to review the list of beneficiaries under Ayushman Bharat Yojana in the country particularly in Meerut Parliamentary Constituency

श्री राजेन्द्र अग्रवाल (मेरठ): आयुष्मान भारत योजना हमारे देश में गरीबों को सस्ती और सुलभ स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करने एवं स्वास्थ्य के बुनियादी ढांचे को मजबूत करने में एक अहम भूमिका निभा रही है। परन्तु आयुष्मान भारत के लाभार्थियों की सूची में कई नाम ऐसे आ गए हैं जिन्हें मुफ्त स्वास्थ्य बीमा कवर की दूर-दूर तक कोई जरूरत नहीं है। मेरठ में ही बागपत रोड स्थित अत्यधिक धनाढ्य कॉलोनी शुम्भूनगर एवं आस-पास के निवासी कुछ धनी परिवार आयुष्मान भारत के लाभार्थियों की सूची में दर्ज हैं। इस प्रकार के उदाहरण अन्यत्र भी बड़ी संख्या में विद्यमान हैं। इसके कारण जिन गरीब लोगों को इन सेवाओं की सख्त जरूरत है, वे इस योजना के तहत मिलने वाली स्वास्थ्य सेवाओं से वंचित हो रहे हैं। आर्थिक सर्वेक्षण ने भी सरकारी योजनाओं में ऐसी समावेशी त्रुटियों को उजागर किया है।

मेरा सरकार से अनुरोध है कि वह इस महत्वपूर्ण योजना के संभावित दुरूपयोग को रोकने के लिए लाभार्थी सूची की जांच कराकर अपात्र परिवारों का नाम सूची से बाहर करे तथा नया सर्वे शीघ्र कराकर पात्र परिवारों का नाम लाभार्थी सूची में शामिल कराने की व्यवस्था करे।

(v) Need to appoint adequate number of teaching faculty and non-teaching staff in Allahabad University and change the name of the University as Prayagraj University

श्रीमती केशरी देवी पटेल (फूलपुर): मैं सरकार का ध्यान अपने संसदीय क्षेत्र फूलपुर, जनपद प्रयागराज, उत्तर प्रदेश की ओर आकृष्ट कराना चाहती हूँ। मेरे क्षेत्र में इलाहाबाद विश्वविद्यालय है। इस विश्वविद्यालय को एक समय में पूर्व का ऑक्सफोर्ड कहा जाता था परंतु आज शैक्षणिक स्टाफ आदि की कमी के कारण पठन-पाठन के स्तर में भारी गिरावट आई है।

मैं माननीय मानव संसाधन विकास मंत्री जी से मांग करती हूँ कि इलाहाबाद विश्वविद्यालय में शिक्षकों एवं अन्य स्टाफ की नियुक्ति हेतु शीघ्र कदम उठाए जाएं, ताकि शिक्षण कार्य सुचारू रूप से हो सके और गुणवत्तायुक्त शिक्षा मिल सके।

इसके साथ ही मैं एक और मांग करती हूँ कि इलाहाबाद विश्वविद्यालय का नाम बदलकर प्रयागराज विश्वविद्यालय किया जाए।

(vi)Regarding status of aborigines of Santhal Pargana region

DR. NISHIKANT DUBEY (GODDA): I refer to the matter raised under Rule 377 regarding inclusion of Khetauri, Ghatwal-Ghatwar and others as Scheduled Tribes in Parliament and received a reply from Hon'bie Minister of Tribal Affairs. But, amidst all this, no development has taken place in this regard so far.

In this connection, I want to place a piece of great historical record - a book titled: "The Little World of an Indian District Officer", written by R.Carstairs and published by Macmillan & Co., London in 1912. In this book, there is a detailed, historical record of the fact that the Santhal Pargana was created and named in 1855, and thus was the youngest of the Bengal districts. The writer provides a wonderful account and description of the Ghatwals (guardians of the passes) and the Khetowrie (Khetauri) and how at the time of the Permanent settlement in 1790, every part of the territory was occupied. This details that at the time of the Permanent Settlement there was not a single Santhal in the whole of this area. Bhunyas, Khetowries, Hindoos, Mahomedans, Highlanders - yes, but Santhals, no.

It is a fact that when these findings were recorded and when the book in question was published, the meaning of Scheduled Castes and Tribes did not exist in the context of what it means administratively today.

Thus the aborigines of the region are the ones who are deprived of their rightful status and claim to be recognized as Scheduled Tribes. (ends)

(vii) Regarding establishing a Sainik School in Dakshin Dinajpur district of West Bengal

DR. SUKANTA MAJUMDAR (BALURGHAT): I would like to draw the kind attention of the Government regarding sanction of Sainik School in my constituency, Dakshin Dinajpur district of West Bengal. Sainik schools are a system of schools established and managed by the Sainik Schools Society to prepare students for entry into the National Defence Academy. It helps the deserving students to get high quality education, irrespective of their income, class or background.

Keeping this in view, I humbly urge upon the Union Government to take necessary steps for establishing a Sainik School in my constituency, Dakshin Dinajpur district of West Bengal, which is the one of least developed constituencies of West Bengal and sharing border with Bangladesh.

(viii) Need to include Rajasthani language in the Eighth Schedule to the Constitution

श्री निहाल चन्द (गंगानगर): राजस्थानी भाषा को संवैधानिक मान्यता प्रदान कर आठवीं सूची में सम्मिलित करने की मांग पूरे राजस्थान में विभिन्न माध्यमों से काफी समय से की जा रही है । किसी भी देश या प्रदेश की संस्कृति को बनाये रखने में वहां की भाषा की अहम भूमिका होती है । यह चिंताजनक है कि सम्पूर्ण तत्वों और लगभग 10 करोड़ से अधिक लोगों द्वारा बोली जाने वाली यह प्राचीन राजस्थानी भाषा आज तक अपने अस्तित्व की ही तलाश कर रही है । राजस्थानी भाषा को संवैधानिक मान्यता मिलने से प्रदेश के प्रत्येक जिले की जनता को शिक्षा एवं रोजगार हासिल करने में भी मदद मिलेगी।

मेरा केन्द्र सरकार से अनुरोध है कि राजस्थानी भाषा को सम्मान का दर्जा देते हुये राजस्थानी भाषा को संवैधानिक मान्यता दिये जाने की दिशा में आवश्यक कार्यवाही करने का कष्ट करें।

(ix) Need to shift 'Asthi Kalash' of Lord Buddha from Delhi to Kapilvastu in Uttar Pradesh

श्री जगदम्बिका पाल (डुमरियागंज): भगवान गौतम बुद्ध की जन्मस्थली कपिलवस्तु सिद्धार्थनगर जहाँ बौद्ध धर्म के मानने वाले लाखों पर्यटक प्रतिवर्ष कपिलवस्तु आने में अपना सौभाग्य मानते हैं । कपिलवस्तु में पर्यटक आने के बाद वहाँ के इतिहास को जानने की जिज्ञासा उनमें होती है । इसी क्रम में भारत सरकार के संस्कृति मंत्रालय ने एक राष्ट्रीय संग्रहालय की स्थापना पिपरहवा कपिलवस्तु में की है । उसके अंतर्गत कपिलवस्तु में Department of Archeology एवं कोलकाता विश्वविद्यालय के समस्त खुदाई से प्राप्त वस्तुओं को उक्त संग्रहालय में रखा गया है । लेकिन यहाँ से खुदाई में प्राप्त दो अस्थि कलश वर्तमान समय में राष्ट्रीय संग्रहालय दिल्ली में रख्ने हुए हैं, जबकि गौतम बुद्ध ने जीवन के प्रारम्भिक 29 वर्ष कपिलवस्तु में ही व्यतीत किये थे । इसलिए बौद्ध श्रद्धालुओं के लिए कपिलवस्तु अत्यंत महत्वपूर्ण है । यदि एक अस्थिकलश वहाँ से राष्ट्रीय संगहालय पिपरहवा, कपिलवस्तु में स्थापित कर दी जाय तो बौद्ध धर्म को मानने वाले लाखों पर्यटक प्रतिवर्ष सारनाथ, कपिलवस्तु, कुशीनगर एवं श्रावस्ती के साथ-साथ अस्थिकलश के भी दर्शन करने का सौभाग्य प्राप्त कर सकेंगे जिससे देश एवं प्रदेश को काफी विदेशी मुद्रा से राजस्व में वृद्धि होगी ।

अतः मैं सरकार से मांग करता हूँ कि भगवान बुद्ध का एक अस्थिकलश राष्ट्रीय संग्रहालय कपिलवस्तु में उपलब्ध कराने हेतु भारतीय राष्ट्रीय संगहालय पुरातत्व एवं संस्कृति विभाग को निर्देशित करने की कृपा करें ।

(x) Need to impress upon Government of Madhya Pradesh to provide adequate compensation to farmers who suffered loss of their crops due to heavy rains in Madhya Pradesh particularly in Balaghat Parliamentary Constituency, Madhya Pradesh

डॉ. ढालसिंह बिसेन (बालाघाट): जैसा कि विदित है कि इस वर्ष शुरू में अल्पवृष्टि हुई एवं बाद में अतिवृष्टि हुई, जिससे मध्य प्रदेश के सभी जिलों सहित मेरे संसदीय क्षेत्र के बालाघाट सिवनी के कृषकों की धान, मक्का, सोयाबीन की फसल खराब हुई । कहीं-कहीं तो गांव के गांव में मक्के की फसल समाप्त हो गई । धान की फसल निकासी के समय अत्यधिक बारिश होने से धान नहीं निकला । धान निकला भी तो काला पड़ गया । कई खेत पानी में डूब गये । इसी तरह सोयाबीन की फसल भी नष्ट हुई । किसान कर्ज माफी के चक्कर में फंसकर डिफॉल्टर हो गया और प्राईवेट कर्ज लेकर फसल बोई तथा खाद, बीज खरीदा और अब फसल न होने एवं कम होने से परेशान हैं और ऊपर से मध्य प्रदेश सरकार ने खेतों का कोई सर्वे नहीं किया, जिससे राजस्व परिपत्र 6-4 का भी लाभ नहीं मिल पायेगा साथ ही साथ बीमा राशि से भी किसान वंचित होंगे।

अतः सरकार से मध्य प्रदेश को निर्देशित करने का अनुरोध करता हूं कि मध्य प्रदेश सरकार किसानों को शीघ्र मुआवजा दे एवं केन्द्र सरकार भी बीमा राशि किसानों को उपलब्ध कराये ।

(xi) Regarding development of land around Kanyakumari Sanctuary as Eco-Sensitive Zone

SHRI H. VASANTHAKUMAR (KANYAKUMARI): Kanyakumari, which is located at the southernmost part of India, is a small district. The total area of the district is 1700 square kilometers, but the total forest cover of the district is nearly 500 square kilometers. It is learnt that there is a proposal to increase the forest cover.

The district is industrially backward, and rubber is produced in plenty. If the forest cover is increased, there will be very less land available for industrialization. Main occupation of the people of the district is fishing. Fishing is a very risky job. Every year hundreds of fishermen are killed during fishing activities. Thousands of youth remain unemployed due to lack of industries. If the proposal is implemented, more than 80 villages and large number of rubber gardens and Kothiyar Hydro power generation plant will be affected. Further, more than 69 villages located on Western Ghats and 18 Panchayat Unions will also be affected. It is not understood why all these factors were not taken into account while formulating the proposal.

I, therefore, request the Government to immediately withdraw this proposal of development of land around Kanyakumari Sanctuary as Eco-Sensitive Zone.

(xii) Need to allocate funds for Hogenakkal Drinking Water Scheme in Tamil Nadu

SHRI DNV. SENTHILKUMAR S. (DHARMAPURI): My Parliamentary Constituency Dharmapuri is a drought-prone, most Backward District with ground water level having high content of Fluoride. The State Government, had started Hogenakkal Drinking Water Scheme from the River Cauvery for Dharmapuri and adjoining districts with the assistance of Rs 1700 crores from Japan. Hon. Speaker Sir, the excess water from the River is going unutilised and flowing into the sea.

I request the excess water should be utilised to fill the lakes in Dharmapuri District to increase the ground level water for Irrigation and drinking purposes. This can be done with the help of already existing pump stations.

Hence, I request the Ministry of Jal Shakti to allot Rs.540 crores for this Project to make the Prime Minister's promise of delivering potable water to every household a reality.

(xiii) Regarding stake sell in CPSEs

PROF. SOUGATA RAY (DUM DUM): The Government has decided to sell off its entire stake in BPCL and 4 other PSUs. 63.75% stake in the Shipping Corporation of India (SCI), 30.8% stake in the Container Corporation of India (CONCOR) and hand over management control. Besides this its entire 74.23% stake in THDCIL and 100% stake in the North Eastern Electric Power Corporation to NTPC Ltd., and also cede control. The government says that the resources unlocked by the strategic disinvestment of these CPSEs would be used to finance the social sector/developmental programmes of the government benefiting the public. Unfortunately, the government privatized a number of Navratna companies and the revenue has not spent for the well-being of the general public or the safety and job security of the employees of such companies. Again, the government maintains that the unlocked resources would part of the budget and the usage would come to scrutiny of the public. It is expected that the strategic buyer/acquirer may bring in new management/technology/investment for the growth of these companies and may use innovative methods for their development. I am afraid of, the proposed bill, “The International Financial Services Centres Authority Bill, 2019, if passed, government will merge eight different sector regulators for the international financial services centres into a single entity. The government has set a disinvestment target of Rs. 1.05 lakh crore for the current financial year. So far, it has managed to collect only Rs. 17,364.26 crore as per the reply

given in this House on 18 November, 2019. I urge upon the government to withdraw the decision to privatize the CPSEs for the interest of the companies and the nation.

(xiv) Regarding financial support to Odisha for building underground Resilient Stable Electricity Transmission and Distribution Network

SHRI BHARTRUHARI MAHTAB (CUTTACK): Odisha is having 480 Kilometers of sea coast which is very often vulnerable to natural calamities such as cyclones and floods every year. During the last five years, Odisha has experienced severe cyclonic storms viz,, Hud Hud, Phylin, Titli, Fani and Bulbul which caused severe damage to the Electricity Transmission and Distribution Network across the coastal belts in the State. Despite a lot of hardships to public, the Government has to spend crores of rupees every year in re-building the Power infrastructure. Thus, there is an urgent need to build underground Resilient Stable Electricity Transmission and Distribution Network in the coastal belts of Odisha. I, therefore, urge upon the Union Government to extend financial support to State Government for building underground Resilient Stable Electricity Transmission and Distribution Network across the coastal belts of the State and thus to avoid recurring cost of building Power infrastructure time and again in the State.

(xv) Regarding inter-linking of rivers in the country

श्री मलूक नागर (बिजनौर): मेरे संसदीय क्षेत्र बिजनौर और प्रदेश व देश के कई भागों में बाढ़ की विभीषिका से प्रति वर्ष भारी बर्बादी होती है । बाढ़ नियंत्रण के लिए विशेषज्ञों की राय लेकर जिस समय बाढ़ नहीं रहती उस समय प्रबंध किए जाएं तो बर्बादी रूक सकती है । संबंधित मंत्रालय को मैं एक सुझाव देना चाहूंगा कि वर्षा के पानी का सही प्रबंधन करते हुए देश व प्रदेश सरकारों के संयुक्त प्रयास से पूरे देश की नदियों व क्षेत्रों को जोड़ सकते हैं । एक ही समय में देश के कुछ क्षेत्रों में बाढ़ में जानमाल का नुकसान होता है तो कुछ में सूखे से । यदि सभी नदियां आपसे में जुड़ जाएं तो बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का पानी सूखा प्रभावित क्षेत्रों में ले जाया जा सकता है, जिससे न तो देश का कोई हिस्सा बाढ़ से प्रभावित होगा और न ही कोई सूखे से ।

माननीय सभापति : सभी माननीय सदस्यों से आग्रह किया जाता है कि कल प्रात: 11 बजे सैंट्रल हॉल में आएँ, जहां माननीय राष्ट्रपति जी का संबोधन भी होगा ।

सभा की कार्यवाही कल दोपहर दो बजे तक के लिए स्थगित की जाती है।

14.08 hrs.

The Lok Sabha then adjourned till fourteen of the Clock on Tuesday, November 26, 2019/Agrahayana 5, 1941 (Saka)